हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
20/9/17 पत्रावली पेश हुई । वकुलाब उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 13/11/17 को पेश हो ।	
13/11/17 वकुलाप उप० । पूर्व आदेश की पालना हेतु समय चाहते हैं समय दिया जाता है मि० दि 12/12/17 को पेश हो ।	
12/12/17 पत्रावली पेश हुई । वकुलाब उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 22/1/18 को पेश हो ।	
22/1/18 पत्रावली पेश हुई । वकुलाब उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 12/2/18 को पेश हो ।	
12/2/18 पत्रावली पेश हुई । वकुलाब उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 26/2/18 को पेश हो ।	
26/2/18 वकुलाब उप० । वकील वादी संशोधित शीर्षक व तलबी पेश नहीं कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें वादीगण ने ग्राम धारवा के ख.न. 593 में से 1.92 है० भूमि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान हेतु वादीगण की खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है तथा इस वाद के साथ वाद संख्या 16/12 प्रकाशचन्द बनाम उदाराम नथी है जिसमें ग्राम धारवा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
को किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि की किस्म या खातेदारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उक्त वादों में श्मशान व कब्रिस्तान हेतु खातेदारी घोषणा चाही है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में नहीं आते हैं साथ ही एक वाद 70/13 रुपाराम ने पेश कर स्थाई निषेधाज्ञा से निर्माण व कब्जा मालूक में दखल नहीं करने हेतु पाबन्द किए जाने का निवेदन किया हैं। उक्त विवादित भूमि ख.नं.-493 रकबा 7.60 हैक्टेयर में अलग-अलग समाज के लोगो ने श्मशान व कब्रिस्तान होना बताया है विवादित भूमि का उपयोग कृषि हेतु हो रहा है या अन्य प्रयोजनार्थ यह तस्दीकदार भूमिधारी को करना है। जिससे उक्त सभी वाद चलने योग्य नहीं हैं। उक्त वाद विधि से बाधित हैं। जिससे उक्त वर्णित सभी वाद खारिज किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अ... की

के ख.न. 513 में से 0.80 है० भूमि रेगर समाज के श्मशान के नाम से खातेदारी घोषणा करने हेतु पेश किया गया है। वाद सं. 158/12 गणपतराम बनाम उदाराम पेश किया है जिसमे इसी खसरा नम्बर में से 1.28 है० भूमि कुमावत समाज को भूमि ~~[illegible]~~ श्मशान हेतु घोषित करने का वाद पेश किया गया है। वाद सं. 157/12 सुगनाराम बनाम उदाराम में ख.न. 513 में से 0.80 है० भूमि मेघवाल समाज को श्मशान हेतु घोषित करने का वाद पेश किया है। साथ ही वाद सं. 153/2012 मोतीलाल बनाम उदाराम में ख.न. 513 में से 0.16 है० भूमि अर्थात इकरारनामा खरीद शुदा होने से खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है। वाद सं. 156/12 रघुनाथ बनाम उदाराम वादीगण ने 2.16 है० भूमि मंदिर धरवाशन माता जी की खातेदारी में घोषित करने का तथा प्रतिवादी उदाराम द्वारा एक वाद 70/2013 उदाराम बनाम गणपतराम पेश किया है जिसमे प्रतिवादीगण को ग्राम धाम्बा के ख.न. 513 के किसी भी भाग में कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने व वादीगण के उपभोग उपयोग में दखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया है।

उक्त सभी वादों में विवादित भूमि ग्राम धाम्बा के ख.न. 513 रकबा 7.60 हैक्टयर भूमि है जो प्रतिवादी उदाराम व तीजादेवी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि में अलग-अलग समाज के श्मशान व कब्रिस्तान हो सकते है लेकिन श्मशान व कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ निजी खातेदारी भूमि की घोषणा किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है न ही निजी खातेदारी भूमि को केवल मौके पर श्मशान व कब्रिस्तान होने से समाप्त किया जा सकता है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं हो रहा है तो तहसीलदार मौके की रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 177 RTA का प्रकरण पेश कर उक्त भूमि को राजकीय सिवाय चक दर्ज करवा सकता है किसी अन्य व्यक्ति